बिहार सरकार

समाहरणालय, अररिया

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

दूरभाष सं0 : 06453-222001 (का0)
फैक्स सं0 : 06453-222124
email- dm-araria.bih@nic.in

पत्रांक..................सा0सु0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
अररिया।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक............/06/2015

विषयः अररिया जिले के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के डाटा डिजिटाईजेशन हेतु निविदा की सूचना प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पकालीन निविदा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु कुल पाँच प्रतियों में सी0डी0 सहित संलग्न कर भेजा जाता है।

अतः अनुरोध है कि कम से कम राज्य स्तरीय दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
ह0/
जिला पदाधिकारी,
अररिया।

ज्ञापांक...254.../सा0सु0, अररिया, दिनांक...16.../06/2015

प्रतिलिपिः जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अनुमंडल पदाधिकारी,अररिया/फारबिसगंज/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अररिया जिला को सूचनापट के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराने हेतु प्रेषित।

16/6/15
जिला पदाधिकारी,
अररिया।

समाहरणालय, अररिया

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 769 दिनांक 20.05.2015 के आलोक में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा का डिजिटाईजेशन का कार्य ऑन लाईन **ई-लाभार्थी साफ्टवेयर** में किया जाना है। विभागीय निदेशालोक में उपरोक्त डाटा का डिजिटाईजेशन कार्य ससमय पूर्ण (30 जून 2015 तक) करने हेतु इच्छुक वेंडर/फर्म से सीलबंद लिफाफा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग-अलग सील्ड लिफाफा में दिनांक 15.06.2015 को निविदा आमंत्रित की गई थी। निर्धारित तिथि को एक भी निविदादाता द्वारा निविदा प्राप्त नहीं कराया गया, जिसके कारण निविदा पूनः निकालने की आवश्यकता आ पड़ी। पुनः इच्छुक निविदादाता से सील बंद निविदा दिनांक 25.06.2015 को पूर्वाह्न 02:00 बजे तक सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, अररिया के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा उसी दिन अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में क्रय समिति के समक्ष 4:00 बजे अपराह्न में खोली जायेगी। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला पदाधिकारी, अररिया के बेवसाईट- http;//araria.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

तकनीकी निविदा की शर्ते :-

1. वेंडर/फर्म को बिहार राज्य में सेवा कर एवं बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (Bihar shops and Establishment Act) के अंतर्गत निबंधित होने का प्रमाण-पत्र एवं कागज का नमूना भी संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदाकर्त्ता के प्रतिनिधि या स्वयं को निविदा खोलने के समय उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ जिला पदाधिकारी, अररिया के पक्ष में 10000 (दस हजार रूपये) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा। जोकि संतोषजनक कार्य किये जाने के बाद वापसी कर दी जायेगी।
4. आवंटित कार्य के Sub-Contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का Under taking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा किसी समय Sub-Contracting यदि किया जाता है तो कार्यादेश वापस लेते हुए एवं जमा की गई जमानत राशि को जब्त करते हुए भेंडर/फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. संस्था को काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने से संबंधित शपत्र पत्र देना होगा।

वित्तीय निविदा की शर्ते :-

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता वेंडर/फर्म का ही वित्तीय निविदी संबंधी लिफाफा खोला जायेगा।

2. वित्तीय निविदा में सभी प्रकार के कार्यो की समेकित दर सभी करों सहित स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। वित्तीय निविदा में कम दर वाले लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। अतिरिक्त प्रिंट आउट का दर अलग से Quote करेंगे।
3. सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन के उपरांत भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
4. उपरोक्त शर्तों के अलावे समय-समय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित शर्तो/निदेशो का पालन करना होगा।

<u>सामान्य शर्ते :-</u>

1. ऑन लाईन डाटा डिजिटाईजेशन एवं उनके सत्यापन हेतु मुद्रित प्रति के मिलान एवं अंतिम रूप से सत्यापन के पश्चात मुद्रित सत्यापित सामग्री जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में हस्तगत करना अनिवार्य होगा। डाटा सत्यापन हेतु दो बार प्रिंट एवं एक बार फोटो कॉपी करना होगा (A4Size, Substance 70G). कम्प्यूटर अधिष्ठापन आदि लिए किसी भी प्रकार का कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
2. बगैर कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने शर्त्तो को संशोधित करने तथा कार्य की अधिकता के कारण समय से कार्य निष्पादन कराने हेतु कार्य का आवंटन एक से अधिक फर्म को करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
3. इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, अररिया मो0 संख्या 9835657900 या उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा ऑन लाईन डाटा डिजिटाईजेशन हेतु विहित साफ्टवेयर एवं उससे संबंधित विहित प्रपत्र/पेंशन भुगतान पंजी आदि का नमूना देखा जा सकता है। **<u>(प्रपत्र संलग्न-1. प्रथम चरण का इंट्री प्रपत्र, 2. द्वितीय चरण का इंट्री प्रपत्र)</u>**

<u>Scope of Work :-</u>

1. प्रथम चरण के इंट्री का कार्य एक सप्ताह के अंदर संपन्न करना होगा एवं द्वितीय चरण का कार्य एक पक्ष के अंदर संपन्न करना होगा।
2. जिले में लगभग 183445 पेंशनधारी हैं जो पंचायतों एवं नगर परिषद में निवास करते हैं।
3. डाटा इंट्री के लिए स्थान समाहरणालय परिसर के किसी भवन में उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें Wiring, Lan Networking, Broad Band इत्यादि का खर्च वेंडर द्वारा वहन किया जायेगा।
4. निम्न सामग्री अधिष्ठापित किया जाना अपेक्षित है।
   - 20Computer Connected With Lan & Broad Band.
   - Heavy Duty Laser Printer-02.
   - Photo Copier.

16/6/15

जिला पदाधिकारी,
अररिया।